राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्रवणी देवी बनाम भगवान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	559/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251-क की उप धारा-(1) का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आराजीयात खं.नं. 686 रकबा 59.140 वाके ग्राम किशनगपुरा पटवार हल्का हरसोली भू.अ.नि. क्षेत्र बाघावास तहसील कि० रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी/आवेदकर्ता के हिस्सा 33821/707396 में प्रार्थी उक्त खसरा नम्र के उ री सीमा पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1211/1201 रकबा 0.3441, खसरा नम्बर 1215/1020 रकबा 0.0632 खसरा नम्बर 1212/1025 रकबा 1216/1027 रकबा 0.0643, खसरा नम्बर 1026/685 रकबा 0.5943 हैक्टेयर वाके 0.0126 हैक्टेयर खसरा नम्बर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का हरसोली भू.अ.नि. बाघावास तह. कि. रेनवाल जिला जयपुर में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था। अप्रार्थी के पति प्रहलाद सहाय द्वारा समझौता व इकारारनामा द्वारा भी प्रार्थी को रास्ता देना तय हुआ था व तरमीम कर नी भी तय था लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीया ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बर 686 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के के लिए तथा अपनी भूमि पर मवेशियों को लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 1211/1201 रकबा 0.3441, खसरा नम्बर 1215/1020 रकबा 0.0632, खसरा नम्बर 1212/1025 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216/1027 रकबा 0.0643 खसरा नम्बर 1026/685 रकबा 0.5943 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का हरसोली भू.अ.नि. बाघावास तह. कि. रेनवाल में से मार्क ए. से बी. 16 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक हुआ है तथा ए. से बी. रास्ता निकालने एंव राजस्व रिकोर्ड में दर्ज आवश्यक है। प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई वैकल्पिक व अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि में रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुविधानुसार आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने व पशुओं के लिए चारा वगै. लाने ले जाने में उसको सुविधा मिल सकती है इसलिए खं.नं. 1211/1201 खसरा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्रवणी देवी बनाम भगवान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	559/2025	

नम्बर 1215/1020 खसरा नम्बर 1212/1025, खसरा नम्बर 1216/1027, खसरा नम्बर 1026/685 हैक्टर में से मार्क ए से बी संलग्न नक्शें में दर्शित 16 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करावाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251-क को उप धारा-(1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री प्रभुदयाल डिसानिया ने वकालतनामा मय जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया | तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251-क की उप धारा-(1) पर समायत कर निर्णय दिनांक 23/04/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसीलदार रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये नवीन रास्ता कायमी का आदेश प्रदान कर दिया गया, जबकी तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "वर्तमान में प्रार्थी के खसरा नम्बर 686 के दक्षिण में खसरा नम्बर 687 किस्म गैर मु. रास्ता है, जिसमे मौके पर डामर सड़क बनी हुई है |" एवं खसरा नम्बर 686 की वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 686 का एकल खातेदार न होकर करीबन 56 सहखातेदारान में से एक सहखातेदार है, जिसमे कानूनन प्रार्थी का स्पेसिफिक भू-भाग अभी निश्चित नही है क्युकि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक भू-भाग पर कब्जा माने जाने की अवधारणा कानून में निहित है | किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं क़ानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रतीत होता है | कानूनन सहखाते की भूमि में रास्ते हेतु केवल मात्र एक सहखातेदार रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत नही कर सकता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्रवणी देवी बनाम भगवान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	559/2025	

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23/04/2025 त्रुटीपूर्ण प्रतीत होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर